

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

::आदेश::

सं0सं0-9/आ0-05-15/2024(स्वा0) /पटना, दिनांक:-.....

डॉ० सुमन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा, सारण के विरुद्ध अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के औचक निरीक्षण के दौरान दिनांक-13.12.2023 को कर्तव्य पर अनुपस्थित रहने, दवा वितरण कक्ष बंद रहने, NBCC एवं प्रसव कक्ष की खिड़की का शीशा टूटे रहने के कारण वातावरण दूषित होने जाने एवं दिनांक-12.12.2023 को किए गए बंध्याकरण की सूचना विहित प्रपत्र में प्रविष्टि नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०-979(9) दिनांक-04.10.2024 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित की गयी।

2. डॉ० कुमार द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध दिनांक-20.01.2025 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया है। उनके द्वारा सिविल सर्जन, सारण के निदेशानुसार दिनांक-13.12.2023 को पुरुष नसबंदी पखवाडा की समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित होने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया है। उक्त बैठक के क्रमांक-50 पर डॉ० कुमार का उपस्थिति दर्ज है। इससे स्पष्ट होता है कि वे समीक्षात्मक बैठक में उपस्थित थे। परन्तु डॉ० सुमन कुमार द्वारा शल्य कक्ष जैसे संक्रमण रहित स्थान को व्यक्तिगत रखने में सजग नहीं रहने बंध्याकरण के मरीज के लिए विहित प्रपत्र में सूचना नहीं भरने एवं दवा वितरण केन्द्र बंद रहने के आरोप पर कोई प्रतिकार नहीं किया गया है।

3. अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा मामलों की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त डॉ० कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई ऐसा तथ्य अंकित नहीं किया गया है जो सुविचारित प्रदत्त शास्ति को क्षान्त करता हो। फलतः डॉ० कुमार द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन कालबाधित की श्रेणी में रहने एवं नये तथ्यों के अभाव में अस्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है।

4. अतएव अधिसूचना सं०-979(9) दिनांक-04.10.2024 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को यथावत रखते हुए डॉ० सुमन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा, सारण के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

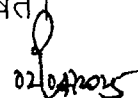
5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-
(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-9/आ0-05-15/2024(स्वा0) 326(9) /पटना, दिनांक:-02.04.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/कोषागार पदाधिकारी, छपरा, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



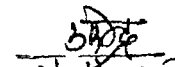
प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें सारण प्रमंडल, छपरा/सिविल सर्जन, सारण,
छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपि:—माननीय मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वा० विभाग के प्रधान आप्त
सचिव/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना के निजी सहायक को
सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—डॉ० सुमन कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परसा,
सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई
हेतु प्रेषित।

✓ प्रतिलिपि:—आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


02/04/2024
सरकार के अवर सचिव